



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 16839/2025

डॉ. साकेत बिहारी और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता

: इंद्रेश कुमार सिंह

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रेश कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्येंद्र सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।

2. इस न्यायालय ने 28.01.2026 को विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश मांगे।

3. याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले रिट याचिका संख्या 1938/2024 (डॉ. साकेत बिहारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसका खारिज 04.03.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए किया गया था:-

"1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में ले लिया गया है।"

2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना भी प्रस्तुत की

है:-

"I. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उनकी पात्रता तिथि/जिस तिथि से याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ पहले व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है, उस तिथि से प्रभावी रूप से लेवल-II में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और लेवल-III में सलाहकार

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के रूप में पदोन्नति प्रदान करने का आदेश देने वाला एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसकी अवधि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इसी तरह के विवाद से संबंधित एक रिट याचिका, रिट-ए संख्या 7438/2022 (डॉ. सुनील कुमार और 37 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा 31.5.2022 को अंतरिम परमादेश जारी किया गया था, जिसमें उपरोक्त याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को 30.6.2017 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता से कनिष्ठों को पहले से दिए गए काल्पनिक लाभों के साथ लेवल-II श्रेणी में पदोन्नति प्रदान करने की मांग की गई थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पूरक हलफनामे में उन्होंने विशेष सचिव चिकित्सा अनुभाग-8 लखनऊ द्वारा दिनांक 03.03.2023 को जारी पत्र संख्या 357/V-8-2023 संलग्न किया है, जो इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 7438/2022 में दिनांक 31.5.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जारी किया गया था।

5. इस दृष्टिकोण से यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का मामला बिल्कुल समान है, इसलिए याचिकाकर्ता भी समान राहत पाने का हकदार है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का दिनांक 12.1.2024 का अभ्यावेदन अधिकारियों के समक्ष लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकरण को उचित निर्देश जारी किया जाए।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष



आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी सभी शिकायतों को उठाते हुए एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

8. यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लेगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का खारिज किया जाता है।

4. इसके बाद 27.06.2024 को राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर-I से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर-II में पदोन्नत करने का आदेश पारित किया गया।

5. वर्तमान में, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर-3 के पद पर पदोन्नति चाहता है, जो उसे मिल जानी चाहिए थी। उनके अनुसार, विशेष रूप से जब वे पात्र और योग्य हैं और पूर्व मुकदमे में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर-3 के पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार करने का निर्देश जारी किया गया था। श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दावा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष निर्णय के योग्य है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करें, जो पात्रता, उपयुक्तता और नियमों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेगा।

फरवरी 17, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”